



UPM0010022842026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद।
सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या-97/2026
श्रीमती मौमीना आदि बनाम मौहम्मद अहमद आदि।

09-05-2026

- 1- पत्रावली राष्ट्रीय लोक-अदालत में पेश हुई। प्रार्थिनी बमय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित।
- 2- प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 12ग पर बल दिया गया।
- 3- प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 12ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी ने रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध प्रश्नगत अपील न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0, मुरादाबाद द्वारा मूलवाद संख्या-43/2009 अब्दुल हमीद आदि बनाम मौहम्मद अहमद में पारित आदेश दिनांकित 09.12.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसमें मौहम्मद अहमद से अपीलार्थिनी का अदालत से बाहर फैसला हो गया है और मौहम्मद अहमद अपीलार्थिनीगण के पुराने मकान के बदले 161 वर्ग गज आराजी अपने कब्जे व दखल की अपने खेत खसरा संख्या-73 में दे रहा है और अपीलार्थिनी का मकान, जो 120 वर्ग गज आराजी पर बना था, से बदला कर रहा है, जिस कारण प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी अपनी अपील का प्रत्यहरण करना चाहती है। अतः प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी अब अपनी अपील पर बल नहीं देना चाहती है, उचित आदेश पारित करने की याचना की गयी।
- 4- सुना। प्रार्थिनी/अपीलार्थिनीगण, विपक्षीगण से अदालत के बाहर फैसला हो जाने के कारण उक्त प्रकीर्णवाद पर बल नहीं देना चाहते हैं। अतः प्रश्नगत प्रकीर्णवाद, धारा-05 मियाद अधिनियम बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 09.05.2026

जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।